

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/716

दिनांक: 17.03.2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 24.01.2025 द्वारा श्रीमती पूनम पार्षद वार्ड संख्या 51 को सभापति नगर परिषद करौली के पद के कार्यभार हेतु 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशानुसार श्रीमती पूनम पार्षद वार्ड संख्या 51 के स्थान पर डॉ राजरानी शर्मा पार्षद वार्ड नं. 34 को सभापति नगर परिषद करौली के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/717-728

दिनांक: 17.03.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलक्टर करौली।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
8. डॉ राजरानी शर्मा पार्षद वार्ड नं. 34 नगर परिषद करौली।
9. श्रीमती पूनम पार्षद वार्ड संख्या 51 नगर परिषद करौली।
10. आयुक्त नगर परिषद करौली।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Indrajit Singh
Designation: Director
Date: 2025.03.17 12:29:53 IST
Reason: Approved

